

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

“प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021”

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
18/2021

दायर दिनांक
08.04.2021

निर्णय दिनांक
12.10.2021

अनवान

1. तुलसीराम पिता कालु जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. देवजी पिता प्रताप जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण लाल पिता हजारी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतनलाल पिता गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भैरूलाल पिता डालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. सवाईराम पिता कजोड जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. पन्नालाल पिता कुका जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी

प्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध पूर्व में दिनांक 06.09.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थीगण आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र तुर्कियाखुर्द में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

कि मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 380 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 है0 व आराजी नम्बर 370, 371, 372, 374, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 414, 415 कुल किता 14 कुल रकबा 5.30 है0 व आराजी नम्बर 373, 378 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशान्नात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीगण को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 - 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 380 कुल किता 1 कुल रकबा 0.20 है0 व आराजी नम्बर 370, 371, 372, 374, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 414, 415 कुल किता 14 कुल रकबा 5.30 है0 व आराजी नम्बर 373, 378 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन